संख्या– 329 /26–ब0प्र0–2010–100(6)/2010

प्रेषक,

भवनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनाकः 19 अप्रैल, 2010

विषयः– केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या– 5/16/2010–5/50/2010, 05 अप्रैल, 2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26.3.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत उक्त योज़ना में प्राविधानित धनराशि रू0 4410.00 लाख में से 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1102.50 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश की प्रत्याश में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फांट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26.3.2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा ।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापम हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

7– जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/ अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

.........2/–

उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण–27–सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

9– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/ दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2.9.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा ।

10– निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी ।

11– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एकमुश्त आहरित नहीं की जायेगी ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.3.2009 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे है ।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या– 329 (1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 ।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ ।
5– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (बजट) अनु0–2/एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी, क0नि0प्र0।
7– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त ... की जा रही धनराशि
1	2	3	4
34	गोण्डा	38.43	9.61
35	बलरामपुर	15.13	3.78
36	बहराइच	64.70	16.18
37	श्रावस्ती	26.89	6.72
38	इलाहाबाद	56.94	14.24
39	कौशाम्बी	48.31	12.08
40	फतेहपुर	28.42	7.11
41	प्रतापगढ़	21.06	5.27
42	वाराणसी	11.03	2.76
43	चन्दौली	27.46	6.87
44	गाजीपुर	40.21	10.05
45	जौनपुर	118.82	29.71
46	मिर्जापुर	191.80	47.95
47	सोनभद्र	515.37	128.84
48	संतरविदासनगर	10.49	2.62
49	हमीरपुर	37.98	9.50
50	बांदा	59.59	14.90
51	चित्रकूट	41.50	10.38
52	महोबा	23.58	5.90
53	गोरखपुर	66.96	16.74
54	महाराजगंज	36.22	9.06
55	देवरिया	15.95	3.99
56	कुशीनगर	36.94	9.24
57	बस्ती	28.73	7.18
58	संतकबीर नगर	32.17	8.04
59	सिद्वार्थनगर	18.93	4.73
60	आजमगढ़	161.18	40.30
61	मऊ	70.72	17.68
62	बलिया	32.32	8.08
63	कानपुर नगर	28.70	7.18
64	कानपुर देहात	51.58	12.90
65	फर्रूखाबाद	28.44	7.11
66	कन्नौज	13.30	3.33
67	इटावा	47.06	11.77
68	औरैया	47.92	11.98
69	झांसी	10.77	2.69
70	ललितपुर	16.38	4.10
71	जालौन	18.27	4.57
	कुल योग-	4410.00	1102.50

(उमा शंकर सिंह)
अनुसचिव

शासनादेश संख्या-329/26-2050-2010-100(6)/2010
दिनांक 19 अप्रैल का संलग्नक

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का आवंटन/प्रस्ताव (विशेष प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	मेरठ	22.80	5.70
2	बागपत	15.38	3.85
3	गाजियाबाद	12.32	3.08
4	गौतमबुद्वनगर	14.33	3.58
5	बुलन्दशहर	8.65	2.16
6	सहारनपुर	24.83	6.21
7	मुजफ्फरनगर	18.95	4.74
8	आगरा	22.75	5.69
9	अलीगढ़	22.66	5.67
10	हाथरस	13.60	3.40
11	एटा	5.90	1.48
12	मैनपुरी	24.05	6.01
13	मथुरा	15.94	3.99
14	फिरोजाबाद	12.84	3.21
15	कांशीरामनगर	19.88	4.97
16	बरेली	31.60	7.90
17	बदायूं	21.20	5.30
18	पीलीभीत	41.22	10.31
19	शाहजहांपुर	64.81	16.20
20	मुरादाबाद	46.90	11.73
21	जे0पी0 नगर	57.57	14.39
22	रामपुर	59.59	14.90
23	बिजनौर	74.26	18.57
24	लखनऊ	153.89	38.47
25	रायबरेली	60.38	15.10
26	हरदोई	512.33	128.08
27	उन्नाव	167.94	41.99
28	सीतापुर	370.75	92.69
29	लखीमपुर खीरी	63.30	15.71
30	फैजाबाद	39.21	9.80
31	अम्बेडकर नगर	45.54	11.39
32	सुल्तानपुर	51.73	12.93
33	बाराबंकी	152.65	38.16